अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2012

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसका उद्धेश्य ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों, जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, को वन भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें वन अधिकार सौपना है, के प्रचालन हेतु इसे 31.12.07 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 को भी दिनांक 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है वहीं दूसरी ओर वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासी, जो वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहें है तथा जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये वन या वन भूमि पर निर्भर है, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, के वन अधिकारों एवं वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने का है।

यह वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकार और कब्जे को मान्यता देता है, जो कई पीढ़ियों से वनों में रह रहे है। लेकिन उनके अधिकार दर्ज नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त यह वन अधिकार दर्ज कराने के लिए ढांचा भी प्रदान करता है।

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कि 9.51 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान है। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व बारां जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर में भी पर्याप्त वन क्षेत्र हैं। उक्त 9 जिलों के 60,06,221 हैक्टर कुल भू–भाग में से 15,78,101 हैक्टर पर वन अवस्थित है जो कि लगभग 26.3 प्रतिशत है।

अधिनियम के तहत प्रदान किये गये मुख्य अधिकार

- निवास के लिए या जीविका के लिये खेती करने (पशु रखने, फसल कटाई क्रियाकलापों, वृक्ष उपज और उत्पात के भण्डारण आदि शामिल) का व्यक्तिगत/सामूहिक उपयोग हेतु वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार (अधिकतम 4 हेक्टर तक की वनभूमि पर वनाधिकार पत्र जारी किया जायेगा)
- वनभूमि पर, गौण वन उत्पादों के संग्रहण, उपयोग व व्ययन का अधिकार

- सामुदायिक वन संसाधनों को संरक्षित व प्रबन्ध करने का अधिकार
- जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से सम्बन्धित बौद्धिक संपदा और पाराम्परिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार

वनाधिकार मान्यता के लिए पात्रता

- अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य/समुदाय, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते है एवं जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये वन या वनभूमि पर निर्भर है,
- अन्य परम्परागत वन निवासी के ऐसे सदस्य/समुदाय जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से वन या वनभूमि में निवास करता रहा है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये इन पर निर्भर है।

  स्पष्टीकरण 'पीढी' से 25 वर्ष की अवधि अभिप्रेत है।

अधिकारों की मान्यता के लिये वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया

वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वनाधिकार पत्र जारी करने के लिये त्रि–स्तरीय प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।

- **ग्राम सभा (प्रथम चरण)** – ग्राम सभा को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और उनका स्वरूप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिये प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है।

  ग्राम सभा द्वारा दावे का उपान्तरण या खारिज करने की दशा में ऐसी सिफारिश या विनिश्चय को व्यक्तिगत रूप से दावेदार को संसूचित किया जायेगा।

  अगर कोई व्यक्ति ग्रामसभा के प्रस्ताव से असंतुष्ट है तो वह 60 दिवस के भीतर उपखण्ड स्तर समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

- **उपखण्ड स्तर समिति (द्वितीय चरण)** – उपखण्ड स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की जांच एवं वन अधिकारों का अभिलेख तैयार दावों को जिला स्तर की समिति को अन्तिम विनिश्चय के लिये अग्रेषित करेगी।

  उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा दावे का उपान्तरण या खारिज करने की दशा में ऐसी सिफारिश या विनिश्चय को व्यक्तिगत रूप से दावेदार को संसूचित किया जायेगा।

  उपखण्ड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिला स्तर की समिति को 60 दिवस के भीतर याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

- **जिला स्तर समिति–** जिला स्तर समिति उसके समक्ष प्रस्तुत उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गए वन अधिकारों के दावो और अभिलेख पर विचार कर अन्तिम रूप से उसका अनुमोदन करेगी।

वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अन्तिम व आबद्धकर होता है।

राजस्थान राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 की प्रगति

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि 9.51 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान है। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, सिरोही, चित्तौडगढ व बारां जिले आते है। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर में भी पर्याप्त वन क्षेत्र है। उक्त जिलों के 60,06,221 हेक्टर कुल भू–भाग में से 15,78,101 हेक्टर पर वन अवस्थित है, जो कि लगभग 26.03 प्रतिशत है।

राजस्थान राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को तेजी से एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। जिसमें राज्य सरकार काफी हद तक सफल भी रही है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू होने से दिसम्बर, 2017 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किये जाने की स्थिति जिलेवार निम्न है–

क्र.सं.	जिला	जारी अधिकार पत्र		जारी अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल	
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	बांसवाडा	12416	50	4695.900	36.480
2	प्रतापगढ	7239	0	5453.620	0.000
3	डूंगरपुर	4635	10	3094.010	5.030
4	उदयपुर	7754	0	6193.869	0.000
5	सिरोही	3114	21	2022.048	5.778
6	राजसमंद	139	0	24.520	0.000
7	बारां	1054	06	828.610	1.790
8	पाली	291	02	222.190	1.000
9	भीलवाडा	207	03	184.740	152.250
10	स0 माधोपुर	0	0	0.000	0.000
11	कोटा	59	0	38.754	0.000
12	झालावाड	23	0	26.520	0.000
13	बून्दी	0	0	0.000	0.000
14	जयपुर	0	0	0.000	0.000
15	चित्तौडगढ	386	0	212.670	0.000
16	टोंक	0	0	0.000	0.000
	योग	**37317**	**92**	**22997.451**	**202.328**